

ओमप्रकाश बनाम बत्तो देवी

दिनांक 04.05.2023

वादी/अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर राजस्व लिपिक द्वारा जांच रिपोर्ट ली जाकर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलबाना नोटिस अन्दर सात दिवस में पेश करें, अदम अनुपालना आदेश (वादी/अधिवक्ता द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलबाना पेश नहीं करने के संबंध में विधिपूर्वक समुचित कारण सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी द्वारा हेतु शिथिलता दिये जाने की अवधि को छोड़ते हुये) दर्ज वादपत्र काविले खारिज होगा। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए. डी. डाक से सशुल्क तलबाना नोटिस जारी होकर बाद तलबी पत्रावली अज अदालतेमाल के समक्ष वकालतान/असालतन पक्ष रखने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.06.2023 को पेश हो।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

11/06/2023

आज पट्ट पर पत्नीवारी एवं वकील वकीलान की कोर्ट
ग्राम पेशे होके पर पेशा हुये वडी लं एक एवं वकील
वकीलान रुप० आपा कुलाबिक प्रानुत प्रानुत वाद का आरं
नही चलाना यह है कता वाद विद्रो कर वादीज किपा
जावे का विवेक रहा। पुनः प्रमा। प्रानुत ग्राम पत्नीवारी
जाली है शांति है एवं कौन का पेशा ही रही ल पर प्रो प्रक
विद्रो कर वकीलान का वाद वादीज किपा जाल है/ पत्रावली
निमित्त हुका है नवर है ककई। वाद लक्ष्मी ल प्र
दिल है व नर है। पुनः प्रमा।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०